बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0– भवन / भू–सम्पदा–09–02(अराजपत्रित)–01 / 2024 110 पटना, दिनांक– 07/08/26

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित अराजपत्रित कर्मियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवास आवंटित किया जाता है:–

क्र0	Reg.No	नाम / पदनाम	विभाग / कार्यालय का नाम	आवंटित आवास
1.	NG16604	श्री अनवर हुसैन, कार्यालय परिचारी	मुख्यमंत्री सचिवालय	A6/318 गर्दनीबाग
2.	BN8573	श्री पंकज कुमार, चालक	ग्रामीण विकास विभाग	A6/409 गर्दनीबाग
3.	BN7593	श्रीमती विभा कुमारी, कार्यालय परिचारी	योजना एवं विकास विभाग	A6/410 गर्दनीबाग
4.	BN8191	श्रीमती प्रियंका कुमारी, आशुलिपिक	खेल विभाग	A8/201, गर्दनीबाग
5.	BN7959	श्री कौशल नट, निम्नवर्गीय लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	A6/411 गर्दनीबाग
6.	BN8411	श्री दीपक कुमार, चालक	वित्त विभाग	A6/419, गर्दनीबाग
7.	BN8174	श्रीमती सोनम कुमारी, आशुलिपिक	शिक्षा विभाग	A8/301, गर्दनीबाग
8.	BN8475	श्री अविनाश कुमार, चालक	वित्त विभाग	A7/407, गर्दनीबाग
9.	BN8520	श्री चितरंजन कुमार, कार्यालय परिचारी	भवन निर्माण विभाग	A7/410, गर्दनीबाग
10.	BN6485	श्री अनिल पासवान, कार्यालय परिचारी	भवन निर्माण विभाग	A7/412, गर्दनीबाग
11	BN5544	श्री प्रमोद प्रसाद, कार्यालय परिचारी	ग्रामीण विकास विभाग	A3/102, गर्दनीबाग
12	BN8109	श्रीमती रिचा कुमारी, आशुलिपिक	श्रम संसाधन विभाग	A8/303 गर्दनीबाग
13.	BN7757	श्रीमती प्रीति देवी, निम्नवर्गीय लिपिक	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	A7/214 गर्दनीबाग
14.	BN8403	श्रीमती लवली कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	वित्त विभाग	A7/209 गर्दनीबाग

2. यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मी को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के तहत उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रबाई की जायेगी।
3. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी / कर्मचारी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी

को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी/कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

4. नये आवंटी कर्मी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

5. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया /दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।

6. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

7. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंश चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ए–टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹275	₹564	₹839

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

8. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवासी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत्त रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली,1986 के नियम–22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

9. आवास परिवर्तन हेतु कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो आवास आवंटन नियमावली–1986 के नियम–10 तथा भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या–1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम–6 (ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

11. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः–**भवन/भू–सम्पदा–09–02(अराजपत्रित)–01/2024**–7376(अ) पटना, दिनांकः–07/08/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी कर्मियों/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।

D: Seema/karyalay Adesh/ 464